1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] पुत्र किशनलाल
6. [illegible] पुत्र किशनलाल

जाति मीना निवासी ग्वारकी तहसील महवा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवा

प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांक 30–09–2019

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र दिनाक 7–12–10 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को प्रस्तुत किया गया जो मुन्तकिल होने पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नांगल तहसील बसवा की आराजी खसरा नम्बर 2405/4.92, 2406/0.41, 2407/0.97,2408/0.41, 2409/0.71, 2410/0.39, कुल किता 6 कबा 7. 81 हैक्टयर जिसके पूर्व खसरा नम्बर 305 मिन रहे है, पर वादीगण का एवं वादीगण के पूर्वजों का बदस्तूर कब्जा काश्त करीब सैकडों वर्ष से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी को मेहनत करके कृषि योग्य बनाया है। वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण के सामने भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। वादीगण उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible]

[illegible] है।

[illegible] डिक्री करवाया जावे।

[illegible] होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु प्रतिवादीगण तामील के बाद भी उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2064–67, नकल जमाबंदी संवत 2056–57 ,नकल खसरा गिरदावरी संवत [illegible] नकल खसरा गिरदावरी संवत 2054, नकल खसरा गिरदावरी संवत [illegible] नकल खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2059 प्रस्तुत की गयी है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य के रूप में रेबडमल, मोहरसिंह रामसिह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2064–67 का अवलोकन करते हैं तो पाते है कि ग्राम नांगल तहसील बसवा की आराजी खसरा नम्बर 2405/4.92, 2406/0.41, 2407/0.972408/0.41, 2409/0.71, 2410/0.39, कुल किता 6 रकबा 7.81 हैक्टयर वन विभाग( राजस्थान सरकार ) के खाते में दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित आराजी है। वादीगण की ओर से अपने कब्जा बाबत खसरा गिरदावरियों की नकल प्रस्तुत की है जिनसे उनका कब्जा होना साबित होता है किन्तु वादीगण का यह कब्जा एक अतिक्रमी की हैसीयत से ही है। वादीगण को वन विभाग की भूमि पर कब्जा के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

ऐसी स्थिति में वादीगण वाद पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है तथा वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

आदेश

अतः वादीगण का दावा बाबत ग्राम [illegible] तहसील [illegible] की अराजी खसरा नम्बर 2405/4.92, 2406/0.41, 2407/0.972408/0.41, 2409/0.71, 2410/0.39, कुल किता 6 कबा 7.81 हैक्टयर वन विभाग की अराजीयात होने के कारण खारिज किया जाता है। डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30–09–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रतनलाल योगी )
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)